



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-10/2016- 712 दिनांक :- 11.06.2018

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमंडल/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल/धनबाद वन प्रमंडल/बोकारो वन प्रमंडल/रामगढ़ वन प्रमंडल/देवघर वन प्रमंडल/राँची वन प्रमंडल/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बाँस गैबियन से पंचायत भवन, बाँस गैबियन से स्कूल, कॉलेज एवं अन्य सरकारी संस्थानों, लम्बे पौधों चाहरदिवारीयुक्त संस्थानों तथा लौह गैबियन से शहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल **रु0 128.380 लाख (एक करोड़ अठाईस लाख अडतीस हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-21/2016-20/स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक-28.06.2016 एवं आवंटन आदेश संख्या-04/यो0बजट-21/2016-19 व0प0 दिनांक-26.04.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102-समाज तथा फार्म वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 रु0 128.380 लाख (एक करोड़ अठाईस लाख अडतीस हजार रुपये)** मात्र मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102590103	111.786
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102590323	16.594
कुल :-		128.380

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 (क), 1(ख), 1(ग) एवं 1(घ)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2(क), 2(ख) एवं 2(ग)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।
3. इस योजना का कोड संख्या— 19S240601102590103 तथा 19S240601102590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा, कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जाएगा तथा एतद् संबंधी-पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम संख्या-174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01/यो0ब0-10/2016- 712 दिनांक— 11.06.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/संथाल परगना, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/दुमका/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/दुमका/बोकारो/गिरिडीह/राँची/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01/यो0ब0-10/2016- 712 दिनांक— 11.06.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा/गिरिडीह/धनबाद/बोकारो/रामगढ़/देवघर/डोरण्डा, राँची/चाईबासा/जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पंचायत भवन की पूर्णता/ कार्यशिलता के प्रत्येक पंचायत में 10 बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण (तृतीय वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	पंचायत भवन की पूर्णता/ कार्यशिलता की स्थिति	भौतिक लक्ष्य बाँस गैबियन (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य		
					मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
					272.99	69.50	342.49
i	ii	iii	iv	v	ix	x	xi
1	देवघर	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	131.2	1312	3.582	0.911	4.493
3	पश्चिमी सिंहभूम	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	124	1240	3.385	0.862	4.247
4	पूर्वी सिंहभूम	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	134	1340	3.658	0.931	4.589
5	गोड्डा	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	163	1630	4.450	1.133	5.583
6	गिरिडीह	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	119	1190	3.249	0.827	4.076
7	गिरिडीह	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	118	1180	3.221	0.820	4.041
8	धनबाद	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	198	1980	5.405	1.376	6.781
9	बोकारो	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	228	2280	6.224	1.585	7.809
10	रामगढ़	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	52	520	1.420	0.361	1.781
योग :-			1267.2	12672	34.594	8.806	43.400

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत प्रत्येक स्कूल, कॉलेज एवं अन्य सरकारी संस्थानों में बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य बाँस गैबियन (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				272.99	69.50	342.49
i	ii	iii	v	ix	x	xi
1	देवघर	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	750	2.047	0.521	2.568
2	पश्चिमी सिंहभूम	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	1000	2.730	0.695	3.425
3	पूर्वी सिंहभूम	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	500	1.365	0.348	1.713
4	गोड्डा	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	1000	2.730	0.695	3.425
5	देवघर	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	750	2.047	0.521	2.568
6	गिरिडीह	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	500	1.365	0.348	1.713
7	गिरिडीह	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	500	1.365	0.348	1.713
8	धनबाद	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	1000	2.730	0.695	3.425
9	बोकारो	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	1500	4.095	1.042	5.137
10	रामगढ़	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	1000	2.730	0.695	3.425
योग :-			8500	23.204	5.908	29.112

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत सी0आर0पी0एफ0/ राज्य पुलिस/ मिलीट्री कैम्पस/ अन्य वैसे जगहों पर जहाँ चहारदिवारी एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो, लम्बे पौधों से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य लम्बे पौधे (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				272.99	9.50	282.49
i	ii	iii	v	ix	x	xi
1	देवघर	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	500	1.365	0.048	1.413
2	पश्चिमी सिंहभूम	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	2000	5.460	0.190	5.650
3	पूर्वी सिंहभूम	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	750	2.047	0.071	2.118
4	गोड्डा	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	500	1.365	0.048	1.413
5	देवघर	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	2500	6.825	0.238	7.063
6	गिरिडीह	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	750	2.047	0.071	2.118
7	गिरिडीह	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	750	2.047	0.071	2.118
8	धनबाद	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	1000	2.730	0.095	2.825
9	बोकारो	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	1500	4.095	0.142	4.237
10	रामगढ़	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	1500	4.095	0.142	4.237
योग :-			11750	32.076	1.116	33.192

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" (पुरानी- पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी) योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत लौह गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)


क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य लौह गैबियन (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			272.99	9.50	282.49
i	ii	iii	vii	viii	ix
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	2000	5.460	0.190	5.650
2	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	500	1.365	0.048	1.413
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	500	1.365	0.048	1.413
4	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	500	1.365	0.048	1.413
5	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	500	1.365	0.048	1.413
6	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	1500	4.095	0.142	4.237
7	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	2527	6.897	0.240	7.137
योग :-		8027	21.912	0.764	22.676

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)  
पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस –गैबियन में वृक्षारोपन

1. बाँस-गैबियन का आकार: 6'-6"x2'-6"x2'-6"      2. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0  
3. मजदूरी दर : रू0 237.38 प्रति मानव दिवस      – पौधे से पौधे की दूरी – 8 मी0

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस (प्रति हे०)	मजदूरी, (रू०)	सामग्री प्रति हे०	कुल व्यय (रू०)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(D)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव		0.15	35.61	4.50	40.11	
2	पटवन (रिक्शा/ढेला द्वारा)		0.50	118.69	5.00	123.69	
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा		0.50	118.69	60.00	178.69	
	योग		1.15	272.99	69.50	342.49	

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बिना घेरान के लम्बे पौधों का वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण)

3. मजदूरी दर : ₹0 237.38 प्रति मानव दिवस

2. स्पेसिंग- पंक्ति से पंक्ति की दूरी - 3 मी0  
पौधे से पौधे की दूरी - 5 मी0

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹0 में)	सामग्री (₹0 में)	कुल व्यय (₹0 में)
1	2	3	4	5	6	7
(C)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति पौधा	0.15	35.61	4.50	40.11
2	पटवन (रिक्शा/टेला द्वारा)	प्रति पौधा	0.50	118.69	5.00	123.69
3	सुरक्षा	प्रति पौधा	0.50	118.69	0.00	118.69
	योग		1.15	272.99	9.50	282.49

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

योजना का नाम- पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर लोहा -गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण)

1. लोहा गैबियन का आकार: 5'x2'x2'

3. मजदूरी दर : ₹0 237.38 प्रति मानव दिवस

2. स्पेसिंग- पंक्ति से पंक्ति की दूरी - 3 मी0  
पौधे से पौधे की दूरी - 5 मी0

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹0 में)	सामग्री (₹0 में)	कुल व्यय (₹0 में)
1	2	3	4	5	6	7
(C)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	35.61	4.50	40.11
2	पटवन (रिक्शा/टेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	118.69	5.00	123.69
3	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	118.69	0.00	118.69
	योग		1.15	272.99	9.50	282.49

प्रधान मुख्य वन/संरक्षक/विकास  
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-10/2016/712

दिनांक - 11-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	33715	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	699,400.00 रुपये छः लाख निम्नानवे हजार चार सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	33728	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	1,157,500.00 रुपये ग्यारह लाख सत्तावन हजार पाँच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	33751	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	707,000.00 रुपये सात लाख सात हजार
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			

2,563,900.00

योग:

क्रमिक योग: रुपये पच्चीस लाख तीरसठ हजार नौ सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D. BAHAMANSI RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33754	GDDFOR164  MANISH KUMAR  DFO GODDA FOREST DIVISION	854,500.00  रुपये आठ लाख चौपन हजार पाँच सौ
5	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33756	DGRFORE88  MAMTA PRIYADARSHI  DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	1,296,700.00  रुपये बारह लाख छयानवे हजार सात सौ
6	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33759	GRDFOR001  KUMAR ASHISH  DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	802,600.00  रुपये आठ लाख दो हजार छः सौ

योग: 2,953,800.00

क्रमिक योग: रुपये पचपन लाख सत्रह हजार सात सौ 5,517,700.00



(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D.D. (BANKERS) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33762	GRDFOR003  SRI SATYAM KUMAR  D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	663,300.00  रुपये छः लाख तीरसठ हजार तीन सौ
8	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33766	DHNFOR001  SRI SOURAV CHANDRA  DIVISIONAL FOREST OFFICER	1,223,000.00  रुपये बारह लाख तेइस हजार
9	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33768	BKRFOR001  P.R. NAIDU  D F O, BOKARO	1,577,900.00  रुपये पंद्रह लाख सित्योत्तर हजार नौ सौ

योग:

3,464,200.00

क्रमिक योग:

रुपये नवासी लाख इक्क्यासी हजार नौ सौ

8,981,900.00

  
(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DABHANG (S) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33769	HZBFOR001  DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	961,000.00  रुपये नौ लाख इकसठ हजार
11	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33773	DRNFWL013  RAJIV LOCHAN BAKSHI  DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	546,000.00  रुपये पाँच लाख छयालीस हजार
12	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33775	DRNFWL004  BIMAL LAKRA  DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	689,700.00  रुपये छः लाख नवासी हजार सात सौ

योग:		2,196,700.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड ग्यारह लाख अठहत्तर हजार छः सौ	11,178,600.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33777	DGRFORE87  MANEL TUDU  D.F.O. S.F.DIV.. DGR	148,000.00  रुपये एक लाख अडतालीस हजार
14	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33779	SGHFOR001  SRI. LAXMI NATH BARAIK  D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	174,700.00  रुपये एक लाख चौहत्तर हजार सात सौ
15	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33780	JSRFOR116  SHASHI KUMAR  D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	135,000.00  रुपये एक लाख पैंतीस हजार


योग:

रुपये एक करोड सोलह लाख छत्तीस हजार तीन सौ

457,700.00

11,636,300.00

क्रमिक योग:

  
(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DADHARHANS, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33782	GDDFOR164  MANISH KUMAR  DFO GODDA FOREST DIVISION	187,600.00  रुपये एक लाख सित्यासी हजार छः सौ
17	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33783	DGRFORE88  MAMTA PRIYADARSHI  DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	90,100.00  रुपये नब्बे हजार एक सौ
18	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33784	GRDFOR001  KUMAR ASHISH  DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	129,400.00  रुपये एक लाख उन्तीस हजार चार सौ

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड बीस लाख तीरयालीस हजार चार सौ

407,100.00

12,043,400.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33785	GRDFOR003  SRI SATYAM KUMAR  D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	123,900.00  रुपये एक लाख तेइस हजार नौ सौ
20	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33786	DHNFOR001  SRI SOURAV CHANDRA  DIVISIONAL FOREST OFFICER	221,400.00  रुपये दो लाख इक्कीस हजार चार सौ
21	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33787	BKRFOR001  P.R. NAIDU  D F O, BOKARO	281,700.00  रुपये दो लाख इक्क्यासी हजार सात सौ

योग:

627,000.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड छब्बीस लाख सत्तर हजार चार सौ

12,670,400.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DADHARHAT (S) RANCHI



क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33789	HZBFOR001  DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	124,600.00  रुपये एक लाख चौइस हजार छः सी
23	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33791	DRNFWL013  RAJIV LOCHAN BAKSHI  DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	19,000.00  रुपये उन्नीस हजार
24	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33792	DRNFWL004  BIMAL LAKRA  DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	24,000.00  रुपये चौइस हजार

योग:

167,600.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड अठाइस लाख अडतीस हजार

12,838,000.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D. B. CHAKRAVARTY RANCHI

Page 8 of 8

167,600.150.21

Run Date: 11/6/2018